फर्द अहकाम

सीताराम बनाम आंपी

नाम न्यायालय

केस संख्या 2/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
नोटिस जारी 2946 25/5/24	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/6/24 को पेश हों।	नोटिस [illegible]
	28/6/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/7/24 को पेश हों।	[illegible] 24/8
	26/7/24	[illegible] पेश हुई। वकील वादी हाजिर। [illegible] [illegible] [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 30/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] स्वीकार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:55:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
दावा संख्याः 2/2020
निर्णय दिनांक :30.08.2024

सीताराम वगै0
बनाम
गोपी देवी वगै0

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वकील वादीगण ने दावा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद नंबर 2 में उल्लेखित खसरा नम्बर 537 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडवाला पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराये कि वादअधीन भूमि के किसी भी हिस्से पर एवं ख्सरा नम्बर 537 की पश्चिमी सीमा पर रोड आदि नही निकाले व खसरा नम्बर 537 की पूर्वी सीमा पर नींव खोदकर नाजायज कब्जा नही करें, ना ही वादअधीन भूमि में पुराना सीमा चिन्ह नष्ट नहीं करे, मोरम, रोडी बजरी आदि डालकर रोड का व अन्य निर्माण नही करें, वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरिया प्रवेश नही करे, वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीगण की भूमि पर कब्जा ना करने, कच्चा पक्का निर्माण नही करें तथा उपयोग–उपभोग करने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायीं रखें, तथा जब तक प्रतिवादीगण उनकी भूमि खसरा नम्बर 539 व 533 का पुनः सीमाज्ञान करवाकर अपनी सीमा पर चिन्ह नही करवा लेते तब तक उक्त खसरा नम्बरान पर भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या [illegible] की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में बहस वकील वादीगण सुनी। [illegible] हमने वकील वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली [illegible] संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान हेतु सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र पेश करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर वादीगण की वाके ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडवाला पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 537 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.27 हैक्टेयर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप करते है तो उनको वादीगण की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है। सीमाचिन्ह निर्धारण तक उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested